रूपांतरण (दखिल खारिज) के आवेदन पर कर्मचारी का प्रतिवेदन

रूपांतरण (दखिल खारिज) केस नं0 .....

मौ0 Mahi Nigahi परगना 616 थाना नं0 205 जिला Gorakhpur

(1) लिखे निकाह, दान बटवारा या वसीयत अधिकारी Parda अनुमानित क्षेत्र का रकबा 0.09 ½

पूर्णतः या अंशतः ..... मुकाया गया मूल्य 2000/- केस का नंबर 4669

केवाला संख्या 668 दिनांक 15.1.82 47/2

खाता संख्या	अभिधारी का नाम	प्लॉट नं0	रकबा	लगान और वैधिगत
53	को शिवदेव पुत्र स्व0 [illegible] पुत्र उमराव अहीर, को आधी मकबे देवी पत्नी [illegible] अहीर, पुत्र [illegible] अहीर, पुत्र [illegible] अहीर, पुत्र [illegible] अहीर, पुत्र [illegible] अहीर, [illegible] P/N 47/2	के पहले	मूल्य	जमाबन्दी
		860 961	13 ¾	11.77
53	वही	860 961	13.25	11.57
53	विश्वनाथ देवी पत्नी स्व0 शिवदेव अहीर ग्राम 616 Employed	जमा बन्दी 860 961	0.07 ½ 0.02 0.09 ½	0.20

अग्रगति

पंजी II के पृष्ठ संख्या 47/2 ..... के अनुसार

(1) खातायानी रैयत का नाम एवं जाति Parda (Umrao Ahir Ka Putra Shivdev)

(2) विक्रेता खातायानी रैयत के कौन होते हैं — Parda

(3) विक्रेता अपने हिस्से से अधिक जमीन बिक्री [illegible] नहीं.

(4) बिक्री के पूर्व उस जमीन पर विक्रेता का दखल कब्जा [illegible] Dekh me

(5) विक्रेता उस जमीन को किस प्रकार हस्तिगत किये है Hastagat

(6) प्रश्नगत भूमी गै0 खास गै0 ग्राम अभिलेखी खाता नम्बर में दर्ज है या नहीं Dekh me

(7) प्रश्नगत भूमि चकबन्दी के अन्तर्गत आती है या नहीं नहीं

(8) प्रश्नगत भूमि चक की [illegible] के अन्तर्गत आती है या नहीं नहीं

(9) प्रश्नगत भूमि केस के पक्षकार कैसे है — Dekh me

(10) पंजी II पृष्ठ संख्या 47/2 ... विक्रेता की [illegible] बन्दी चढ़ी है लगान अदायी योग्य का भागफल 0.20 लिख दिया गया है। Rupantaran

अनुशंसा ..... Samparshan Sahi Paye Gaye Hai

अतः केवाला के आधार पर रूपांतरण किया जा सकता है

Vedi

Jai